न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,
बज्जू।

अपील सं. 59/17

पप्पू खां पुत्र सुभान खां, जाति मुसलमान, निवासी बागड़सर तहसील कोलायत, जिला बीकानेर।

– अपीलांट

-- बनाम --

1. **मु. न्यामत पुत्री नसीबा, पुत्री नथू खां जाति मुसलमान, निवासी बागड़सर तहसील कोलायत, जिला बीकानेर।**
2. **स्टेट आफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार।**

– रेस्पोडेंट्स

अपील सं. 58/17

पप्पू खां पुत्र सुभान खां, जाति मुसलमान, निवासी बागड़सर तहसील कोलायत, जिला बीकानेर।

– अपीलांट

-- बनाम --

1. **मु. न्यामत पुत्री नसीबा, पुत्री नथू खां जाति मुसलमान, निवासी बागड़सर तहसील कोलायत, जिला बीकानेर।**
2. **स्टेट आफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार।**

– रेस्पोडेंट्स

1. **श्री राधा किशन स्वामी एडवोकेट अपीलांट की तरफ से**
2. **श्री करणसिंह तंवर एडवोकेट रेस्पोडेंट सं. 1 की तरफ से**
3. **पेरोकार राज. रेस्पोडेंट सं. 2 की तरफ से**

निर्णय

दिनांक : 26/12/19

अपील सं. 58/17 व अपील सं. 59/17 अति. कलेक्टर (प्रशासन) बीकानेर के न्यायालय से स्थान्तरित होकर प्राप्त हुई। दर्ज रजिस्ट्रर की गई तथा दिनांक 05.12.19 को दोनों पत्रावलियों में बहस सुनी गई। दोनों ही अपीलों में पक्षकार समान है तथा तथ्य भी एक समान है इसलिए दोनों अपीलों का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

उपखण्ड अधिकारी
बज्जू जिला-बीकानेर

Scanned by CamScanner

अपील सं. 58/17 में अपीलांट का कथन है कि चक 1 आरजेएम के मु.नं. 60/52 में किला नं. 21, 22 में 1.14 बीघा, मु.नं. 60/44 में किला नं. 16, 25 में 1.17 बीघा, मु.नं. 60/95 में किला नं. 4 ता 7, 15 में 5 बीघा तथा मु.नं. 60/53 में किला नं. 1 ता 3, 8 ता 13, 18 ता 20 में 12 बीघा कुल 20.10 बीघा भूमि मिसल बन्दोबस्ती गैरखातेदारी भूमि है। अपीलांट के दादा नथू खां के स्वर्गवास के पश्चात् आराजी मुतनाजा विरासतन सुभान खां पुत्र तथा नसीबा पुत्री के नाम दर्ज रिकॉर्ड हुई। मु. नसीबा अपीलांट की भुआ थी जो अपीलांट के साथ रहती थी। मु. नसीबा के वारिसान में एकमात्र पुत्री मु. न्यामत हुई। जिसका विवाह कर दिया गया तथा विवाह के पश्चात् अपने ससुराल में रह रही है। मु. नसीबा अपीलांट के साथ रहती थी, अपीलांट ही उसकी सेवा चाकरी करता था जिससे खुश होकर नसीबा ने उपरोक्त भूमि अपीलांट के पक्ष में वसीयत कर दी थी। जिसका उप पंजीयक, बीकानेर द्वारा दिनांक 31.01.90 को पंजीयन किया गया था।

मु. नसीबा के देहांत के बाद मु. न्यामत को उक्त वसीयत का ज्ञान होते हुए भी दिनांक 02.08.13 को मु. न्यामत ने उपनिवेशन तहसीलदार कोलायत नं. 1 में इन्तकाल सं. 120 के द्वारा अराजी मुतनाजा अपने नाम चढ़वा ली जो कानून एवं विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त किए जाने योग्य है।

अपीलांट का यह भी कथन है कि आराजी मुतनाजा पर रेस्पोडेंट सं. 1 का कभी कब्जा नहीं रहा। अपीलांट का अपनी पेतृक भूमि पर अपने दादा के समय से कब्जाकाश्त निरन्तर शांतिपूर्वक चला आ रहा है। अपीलांट ने अथक मेहनत करके तथा हजारों रूपया खर्च करके आराजी मुतनाजा को सुधारा है तथा आराजी मुतनाजा को काश्त कर अपने परिवार का भरण पोषण करता आ रहा है। रेस्पोडेंट सं. 1 ने हल्का पटवारी के साथ मिलीभगत करके कानून के प्रावधानों के खिलाफ अपीलांट की पैतृक भूमि का इंतकाल सं. 120 अपने नाम दर्ज करवाया है। तहसीलदार कोलायत नं. 1 ने इन्तकाल चढ़ाने से पूर्व अपीलांट को

उपखण्ड अधिकारी
बज्जू जिला-बीकानेर

Scanned by CamScanner

सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया। दिनांक 26.11.2014 को अपीलांट वरीयत के आधार पर इन्तकाल दर्ज करवाने गया तो इन्तकाल सं. 120 की जानकारी हुई। इसके पश्चात् धारा 5 कानून मियाद प्रार्थना पत्र के साथ अपील पेश की गई। अपील इल्म के दिन से अन्दर मियाद है। इन्तकाल सं. 120 निरस्त फरमाया जावें।

अपील सं. 59/17 के सम्बन्ध में अपीलांट का कथन है कि अपीलांट के दादा नथू खां के नाम से चक 2 बीजेएम के मु.नं. 114/37 में किला नं. 11, 19 ता 22 में 5 बीघा, मु. नं. 114/29 में किला नं. 16, 25 में 2 बीघा, मु. नं. 114/30 में किला नं. 5 ता 7, 14 ता 17, 24, 25 में 8.12 बीघा मु. नं. 114/38 में किला नं. 1 ता 3, 9 ता 12, 19 ता 22 में 10.14 बीघा, मु. नं. 114/39 में किला नं. 1, 10 में 2 बीघा, मु. नं. 114/31 में किला नं. 4 ता 7, 14 में 3.16 बीघा कुल 32.2 बीघा भूमि मिसल बन्दोबस्ती गैरखातेदारी भूमि थी। नथू खां के स्वर्गवास के पश्चात् आराजी मुतनाजा का विरासतन इन्तकाल सुभान खां पुत्र मु. नसीबा पुत्री के नाम दर्ज हुआ तथा मु. नसीवा की मृत्यु के पश्चात् आराजी मुतनाजा का विरासतन इन्तकाल मु. नसीबा की पुत्री रेस्पोडेंट सं. 1 मु. न्यामत के नाम उपनिवेशन तहसीलदार द्वारा इंतकाल सं. 120 दिनांक 02.08.13 को दर्ज किया गया। उक्त इंतकाल सं. 120 को भी निरस्त करने के लिए अपीलांट ने अपनी वही बहस दोहराई जो अपील सं. 58/17 में की गई, चूंकि दोनों ही अपीलों के तथ्य एक समान है।

रेस्पोडेंट के अधिवक्ता द्वारा प्रत्युत्तर में कथन किया गया कि यह सही है कि दोनों ही अपीलों में वर्णित भूमि चक 1 आरजेएम व चक 2 बीजेएम की विवादग्रस्त भूमि पूर्व में अपीलांट के दादा व रेस्पोडेंट सं. 1 के नाना नथू खां के नाम से गैर खातेदारी भूमि थी। इस भूमि के अलावा नथू खां के नाम से दूसरी भूमि भी थी। नथू खां के स्वर्गवास के पश्चात् दोनों अपीलों में वर्णित विवादग्रस्त भूमि नथू खां की पुत्री मु. नसीबा के हिस्से में आई तथा अन्य भूमि नथू खां के पुत्र सुभान खां के हिस्से में आई। नथू खां के स्वर्गवास के पश्चात् मु. नसीबा व

उपखण्ड अधिकारी
बज्जू जिला-बीकानेर

Scanned by CamScanner

सुभान खां अपने अपने हिस्से की भूमि पर काबिज हुए तथा कास्त करते रहे। मु. नसीबा की मृत्यु के पश्चात् नसीबा के हिस्से व कब्जे की भूमि चक 1 आरजेएम व चक 2 बीजेएम की वादग्रस्त भूमि का विरासतन इन्तकाल रेस्पोडेंट सं. 1 मु. न्यामत के नाम दर्ज हुआ।

रेस्पोडेंट सं. 1 के अधिवक्ता ने आगे कथन किया कि दिनांक 31.01.90 को वादग्रस्त भूमि की मु. नसीबा गैर खातेदार कास्तकार थी। मु. नसीबा ने अपीलांट के हक में कोई वसीयत की ही नहीं, ना ही मु. नसीबा को वसीयत करने का कोई अधिकार हासिल था। राजस्थान कास्तकारी अधिनियम की धारा 39 के अनुसार केवलमात्र खातेदार कास्तकार को ही वसीयत करने का अधिकार है। गैर खातेदारी भूमि की वसीयत हो ही नहीं सकती। अधिवक्ता ने अपनी बहस को आगे बढ़ाते हुए **आरआरडी 1988 पेज 23 प्रस्तुत** कर कथन किया कि माननीय राजस्व मण्डल द्वारा भी यह व्यवस्था दी गई है कि केवल मात्र खातेदार कास्तकार ही वसीयत कर सकता है, गैर खातेदार कास्तकार को वसीयत करने का अधिकार नहीं है। वादग्रस्त भूमि आज भी गैर खातेदारी है। अपीलांट स्वयं अपनी अपील के मद सं. 2 में यह तथ्य स्वीकार करता है।

रेस्पोडेंट सं. 1 के अधिवक्ता का यह भी कथन है कि दोनों ही अपीलें मियाद बाहर है अपीलांट का धारा 5 कानून मियाद का प्रार्थना पत्र वेग है तथा मियाद कन्डोन करने के लिए संतोषजनक कारण नहीं बतलाया गया है।

दोनों ही चक 1 आरजेएम व 2 बीजेएम के इंतकाल सं. 120 विरासतन इन्तकाल है। रेस्पोडेंट सं. 1 मु. नसीबा की एकमात्र वारिस है जो कि निर्विवाद तथ्य है। विरासतन इन्तकाल दर्ज करते समय किसी भी अन्य को जो कि मृतक का वारिस नहीं है उसे बुलाना आवश्यक नहीं होता है।

अपीलांट के अधिवक्ता ने प्रत्युत्तर में अपने कथनों को दोहराते हुए आरआरडी 2005 पेज 721, आरआरडी 2007 पेज 375, तथा आरआरडी

उपखण्ड अधिकारी
बज्जू जिला-बीकानेर

Scanned by CamScanner

1999 पेज 339 प्रस्तुत कर कथन किया कि गैर खातेदारी भूमि की वसीयत की जा सकती है, मगर हम अपीलांट के इस कथन से सहमत नहीं है न्यायालय रेस्पोडेंट सं. 1 के इस कथन से सहमत है कि राजस्थान कास्तकारी अधिनियम की धारा 39 के अनुसार केवलमात्र खातेदारी भूमि की ही वसीयत की जा सकती है तथा माननीय राजस्व मण्डल राज. द्वारा आरआरडी 1988 पेज 23 में व्यक्त मत से इस कानूनी पहलू को बल मिलता है।

हमनें अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 कानून मियाद के प्रार्थना पत्र भी गौर किया। अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र में यह नहीं बतलाया कि वसीयतकर्ता नसीबा की मृत्यु कब हुई तथा जब इन्तकाल दिनांक 02.08.13 को ही दर्ज हो चुके थे तो वह दिनांक 26.11.14 तक इन्तकाल चढ़वाने क्यों नहीं गया। प्रार्थना पत्र वेग है तथा इसमें मियाद कन्डोन करने के लिए संतोषजनक कारण नहीं बतलाऐं गए है। मियाद प्रार्थना पत्र मन्जूर किए जाने योग्य नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर दोनों ही अपीलें मियाद बाहर होने से तथा गैर खातेदारी भूमि की वसीयत पर आधारित होने के कारण मेरिट पर भी निरस्त किए जाने योग्य होने के कारण निरस्त की जाती है।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(प्रदीप कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, बज्जू।

उपखण्ड अधिकारी
बज्जू जिला-बीकानेर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Kumar
Date: 2020.02.04 13:04:46 IST
Reason: SelfAttested
Location: